नियम व शर्तें

1. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु अध्ययन केंद्र स्थापित करने के इच्छुक विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को अपने आवेदन के साथ प्रक्रिया शुल्क के तौर पर रु. 10,000/- का माँगपत्र वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा के नाम से जमा करना अनिवार्य है। यह शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।
2. प्रत्येक अध्ययन केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा प्रेष्य छात्रों से संबंधित समस्त प्रवेश आवेदन, नामांकन पत्र तथा परीक्षा आवेदन पत्र इत्यादि में छात्र की अनिवार्य योग्यता से संबंधित पूर्ण विवरण भरा गया है तथा यह भी जांच करेगा कि आवेदन के साथ संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेज़ संबंधित छात्र द्वारा सत्यापित हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन व पाठ्यक्रम शुल्क प्राप्त होने के बाद पंजीकृत होने वाले छात्रों को संबंधित केंद्र के पते पर संबंधित पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री प्रेषित की जाएगी। अध्ययन केंद्र छात्रों को पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराने के बाद संबंधित से प्राप्ति–रसीद प्राप्त कर विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः भेजेगा।
3. असत्यापित दस्तावेज़, अपूर्ण, अस्पष्ट, अनिवार्य शैक्षिक एवं आवश्यक अर्हता न रखने वाले आवेदनों को निरस्त करने और इससे संबंधित शुल्क आदि के विषय में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
4. अध्ययन केंद्र प्रत्येक पाठ्यक्रम से संबंधित छात्रों द्वारा स्वयं भरे हुए व स्वहस्ताक्षरित समस्त अनिवार्य कार्य यथा–सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य जर्नल, लघु शोध–प्रबंध, लघु शोध–निबंध जो लागू हो, से संबंधित समस्त अभिलेख, दस्तावेज़ विश्वविद्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएगा। ऐसा नहीं होने पर यदि कोई छात्र प्रवेश अथवा परीक्षा से वंचित होता है तो इसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी संबंधित अध्ययन केंद्र की होगी।
5. प्रत्येक अध्ययन केंद्र विद्यार्थी सहायता सुविधा के तहत छात्रों को दी जानेवाली निम्नांकित सुविधाओं को अनिवार्य रूप से यथासमय उपलब्ध कराएगा।
    A. छात्रों के अनुपात में व्याख्यान कक्ष।
    B. छात्रों के अनुपात और विषय–विशेषज्ञतानुसार वांछित पाठ्यक्रमों की पुस्तकें।
    C. इंटरनेटयुक्त कंप्यूटर लैब।
    D. छात्रों के अनुपात में विषय–विशेषज्ञतानुसार वांछित पाठ्यक्रमों से जुडे अनुभवी शिक्षक।
    E. छात्रों की आजीविका (Career) से संबंधित परामर्श तथा अकादमिक व अन्य सूचनाएँ देने हेतु कार्यालय।

    विद्यार्थी सहायता सुविधा के अंतर्गत छात्रों से उपर्युक्तों में कमी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, और जांच में यह शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित केंद्र के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों/अध्ययन केंद्रों से संबंधित समस्त सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु यथासमय अध्ययन केंद्रों द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई गई ई–मेल आईडी पर भेज दी जाएगी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। अध्ययन केंद्र में पंजीकृत होने वाले छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी जाएगी (अपवादात्मक स्थिति को छोड़कर)। अतः प्रत्येक अध्ययन केंद्र समय–समय पर अपने ई–मेल आईडी पर प्राप्त होनेवाली व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होनेवाली सूचनाओं को भली–भांति देखें और उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
7. विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी किसी केंद्र का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं में कमी/अनियमितता पायी जाने पर नियमानुसार दी गई मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
8. अध्ययन केंद्रों को प्रत्येक सत्र/वर्ष में उनके द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्त अवधि में किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ प्रति वर्ष 15 मई तक जमा करना होगा।

9. दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की अकादमिक तथा प्रशासनिक गुणवत्ता बनाएं रखने के उद्देश्य से आवश्यकता पडने पर किसी भी पाठ्यक्रम या इससे जुडे शुल्क विवरण में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन, अद्यतन किसी भी नियम में कुछ शामिल करने अथवा कमी करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। यह नियम समस्त छात्रों और अध्ययन केंद्रों पर लागू होगा।
10. अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय तीन माह के भीतर अध्ययन केंद्र के खर्च पर पूर्व सूचना देकर निरीक्षण करेगा। इस हेतु प्रत्येक अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रेष्य सूचनानुसार 90% अग्रिम धनराशि वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा के खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराएगा।
11. अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों को नहीं मानने पर संबंधित केंद्र के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं अध्ययन केंद्र की मान्यता रद्द करते हुए देय हिस्सेदारी राशि को जब्त करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
12. विश्वविद्यालय के समस्त अकादमिक कार्यक्रमों व परीक्षा/वित्तीय/प्रशासनिक गतिविधियों से जुडे विवादों का क्षेत्राधिकार वर्धा, महाराष्ट्र रहेगा।
13. निम्नलिखित घोषणा को रू. 100/– के Non Judicial Stamp Paper पर भरकर अपने आवेदन के साथ भेजें। शपथ–पत्र पर संबंधित केंद्र संचालक के हस्ताक्षर, पूर्ण पता तथा संस्थान की मुहर अनिवार्य है।

शपथ–पत्र

मैं.....(केंद्र का नाम) .....

बतौर केंद्र संचालक .....(पूर्ण पता, पिन कोड सहित) एतद्दवारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) 442001 दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी सभी नियमों व शर्तों को सहर्ष स्वीकार करता/करती हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों की अवहेलना करने अथवा उनके विरूद्ध कार्य करने पर मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मेरे द्वारा की गई घोषणा के विरूद्ध मैं कभी भी कोई प्रतिवाद नहीं करूँगा/करूँगी।